न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-3013RAAJodhpur2022-182RTA225 Laluram Vs Ex.En PWD etc

लालूराम पुत्र श्री उर्जाराम, जाति जाट, निवासी- सारणनगर, सामराउ, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, औसियां,
2. श्रीमान् सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, औसियां।
3. तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 11 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 112/2022 लालूराम बनाम पी.डब्ल्यू.डी. इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 14 अगस्त 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 112/2022 लालूराम बनाम पी.डब्ल्यू.डी. इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 721 रकबा 7.

14.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7052 हैक्टेयर ग्राम सारणनगर के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर सीमाज्ञान एवं सीमांकन नहीं होने तक प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति रखे जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 जुलाई 2022 के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अंतरिम रूप से अस्वीकार कर दिया गयो, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुनने के बावजूद भी अंतरिम निषेधाज्ञा पर आदेश नहीं दिया है तथा आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश नहीं किया गया है। अपीलार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाईश करवाई जाकर सीमा चिन्ह कार्य किये जाकर सड़क का राजस्व नक्शे अनुसार सड़क निर्माण करने का निवेदन किया है, जिस कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। सड़क निर्माण राजस्व नक्शे से हटकर अपीलार्थी के खेत में किया जाता है तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपायी किया जाना नामुमकिन है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं बिना सीमांकन के सड़क निर्माण नहीं करे।

14.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि कटाणी रास्ते की भूमि पर ही सड़क निर्माण किया जा रहा है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 721 के सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार औसियां द्वारा भू-प्रबंध विभाग से राजस्व टीम गठित कर सीमाज्ञान की तिथि दिनांक 02 अगस्त 2022 निर्धारित की गई। उक्त संयुक्त टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान की रिपोर्ट अपीलांट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही की गई है, जिसके अभाव में किसी निष्कर्ष तक नही पहुंचा जा सकता है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.8.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर